



2026:AHC:10314

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 351 वर्ष 2026

अनिल कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मजहर अली

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री नीतू पाल और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता, श्री प्रेम शंकर मिश्रा, को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का वाद यह है कि 06.01.2022 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस चलचित्र केंद्र में सहायक चालक के पद पर नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 1374 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने सहायक चालक के पद के लिए आवेदन किया था, हालाँकि, रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता भादं.सं की धारा 325, 320 और 504 के तहत आपराधिक वाद संख्या 99 वर्ष 2024 से उत्पन्न एक आपराधिक मामला संख्या 2671/2021 दर्ज किया गया था। रिट याचिकाकर्ता को प्रवेश पत्र जारी किया गया, रिट याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और प्रारंभिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की; चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलावा पत्र जारी किया गया, जिसे भी रिट याचिकाकर्ता ने उत्तीर्ण कर लिया, और रिट याचिकाकर्ता का नाम चयन सूची में भी शामिल है, परंतु उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। यह निवेदन किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि दिनांक 28.04.1958 के सरकारी आदेश और जिला दण्डाधिकारी की अनुकूल आख्या के आलोक में, नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए थी; मात्र किसी आपराधिक मामले का लंबित होना चयन के लाभों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि दिनांक 28.04.1958 का सरकारी आदेश स्वयं यह प्रावधान करता है कि मात्र मामले का लंबित होना भी नियुक्ति से वंचित करने का आधार नहीं है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि **अवतार सिंह बनाम भारत संघ: (2016) 8 एससीसी 471** तथा **रविंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: (2024) 5 एससीसी 264** मामलों में दिए गए निर्णयों के आलोक में, रिट याचिकाकर्ता नियुक्ति हेतु विचार किए जाने की हकदार है।

3. सीखे हुए अतिरिक्त मुख्य शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तीसरे प्रत्यर्थी, पुलिस उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)/राज्य रेडियो अधिकारी (प्रशासन), यू.पी. पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

4. अदालत में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता **15.02.2026** तक, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ, तीसरे प्रत्यर्थी पुलिस उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)/राज्य रेडियो अधिकारी (प्रशासन), उ.प्र. पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ, के समक्ष एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, तीसरा प्रत्यर्थी तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा। यदि चौथे प्रत्यर्थी की यह राय है कि इस मामले पर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, तो संबंधित दस्तावेज उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

जनवरी 16, 2026

राजेश